

आदेश की क्र.सं. और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख सहित 3
7/1/17	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर चाईबासा का पत्रांक-732/रा0, दिनांक-20/12/16.....के द्वारा टी.के.एम केस नं0-02(M)2016-17 जाँच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है। निर्देशानुसार हल्का कर्मचारी के द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन अवलोकन से विदित होता है कि:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि चाईबासा टाउन खास महाल के मुहल्ला सदर बाजार, चाईबासा वार्ड नं0 08 पुराना, 12 नया, खासमहाल होल्डिंग संख्या-230/1813, नगरपालिका होल्डिंग संख्या-8/147 टी.के.एम. प्लॉट संख्या-2338 और 2339 रकवा-0.03. 05 धूर भूमि टी.के.एम. केश संख्या-1625(L)1994-95, के द्वारा श्री निरंजन प्रसाद साव, पिता स्व0 मथुरा प्रसाद साव निवासी सदर बाजार चाईबासा के साथ दिनांक 01.04.1995 से अगले 30(तीस) वर्षों तक के लिए लीज नवीकृत है। तथा लगान का भुगतान वर्ष 2015-16 तक जमा है तथा भूमि पर शांति पूर्वक दखल कब्जा है। 2. आवेदित भूमि के आस-पास हाईटेन्सन तार नहीं है तथा उक्त भूमि तक अग्नीशमक की गाड़ी आने-जाने का पर्याप्त सड़क उपलब्ध है। 3. आवेदित भूमि के आगे-पीछे 3X0 का नाली अवस्थित है। 4. आवेदित भूमि पर नक्शा के अनुसार निर्माण का अनुरोध किये है। 5. आवेदित भूमि पर भवन निर्माण किये जाने पर किसी तरह का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने आवेदित भूमि पर नक्शा के अनुसार भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित हेतु अनुशंसा किये है।</p> <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर नक्शा के अनुसार भवन निर्माण हेतु अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया जाता है।</p> <p>अभिलेख पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-खास महाल पदाधिकारी सदर चाईबासा को भेजें।</p> <p>लेखापित</p> <p>अंचल अधिकारी सदर चाईबासा</p> <p>अंचल अधिकारी सदर चाईबासा</p>	

सेवा में,
अंचल अधिकारी
सदर चाईबासा।

विषय:- भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित करने के सम्बन्ध में जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आदेशानुसार स्थानीय जाँच कर बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

1. आवेदित भूमि चाईबासा टाउन खास महाल के मुहल्ला सदर बाजार, चाईबासा वार्ड नं० 08 पुराना, 12 नया, खासमहाल होल्डिंग संख्या-230/1813, नगरपालिका होल्डिंग संख्या- 8/147 टी.के.एम. प्लॉट संख्या-2338 और 2339 रकवा-0.03.05 धूर भूमि टी.के.एम. केश संख्या-1625(स)1994-95, के द्वारा श्री निरंजन प्रसाद साव, पिता स्व० मथुरा प्रसाद साव निवासी सदर बाजार चाईबासा के साथ दिनांक 01.04.1995 से अगले 30(तीस) वर्षों तक के लिए लीज नवीकृत है। तथा लगान का भुगतान वर्ष 2015-16 तक जमा है तथा भूमि पर शांति पूर्वक दखल कब्जा है।
2. आवेदित भूमि के आस-पास हाईटेन्सन तार नहीं है तथा उक्त भूमि तक अग्नीशमक की गाड़ी आने-जाने का पर्याप्त सड़क उपलब्ध है।
3. आवेदित भूमि के आगे-पीछे 30' का नाली अवस्थित है।
4. आवेदित भूमि पर नक्शा के अनुसार निर्माण का अनुरोध किये है।
5. आवेदित भूमि पर भवन निर्माण किये जाने पर किसी तरह का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अतः आवेदित भूमि पर नक्शा के अनुसार भवन निर्माण करने हेतु नक्शा पारित हेतु अनुशंसा किया जा सकता है। प्रतिवेदन अग्रेतर कारवाई हेतु समर्पित।

21-12-16

अंचल अधिकारी
सदर चाईबासा

आदेश की क्र०सं०और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख सहित
२९/१२/१६	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता सह खासमहाल पदाधिकारी, सदर चाईबासा का पत्रांक-704 / रा०दिनांक-14.12.16 के द्वारा टी.के.एस केस न०-02(M) / 2016-17 जाँच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है। निर्देशानुसार हल्का कर्मचारी के द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से स्थल जाँचकर प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन के अनुसार:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि चाईबासा टाउन खास महाल के मुहल्ला-सदर बाजार चाईबासा वार्ड न०-08, पुराना-12 नया, खासमहाल होल्डिंग संख्या-230 / 1813, नगरपालिका होल्डिंग संख्या-8 / 147 टी.के.एम. प्लॉट संख्या-2338 और 2339 रकवा-0.03.05 धूर भूमि टी.के.एम.केश सं०-1625(L)1994-95 के द्वारा श्री निरंजन प्रसाद साव, पिता स्व० मथुरा प्रसाद साव निवासी सदर बाजार चाईबासा के साथ दिनांक 01.04.1995 से अगले 30 वर्षों तक के लिए लीज नवीकृत है तथा लगान का भुगतान वर्ष 2016-17 तक जमा है तथा भूमि पर शांति पूर्वक दखल कब्जा है। 2. आवेदित भूमि के आस पास हाईटेन्सन तार नहीं है तथा उक्त भूमि तक अग्नीशमक की गाड़ी आने जाने का पर्याप्त सड़क उपलब्ध है। 3. आवेदित भूमि के आगे पीछे क्ल नाली अवस्थित है। 4. आवेदित भूमि पर नक्शा के अनुसार निर्माण का अनुरोध किये है। 5. आवेदित भूमि पर भवन निर्माण किये जाने पर किसी तरह का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के आवेदित भूमि पर नक्शा के अनुसार भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित हेतु अनुशंसा किये है।</p> <p>अतः लीज शर्तों के आलोक में नक्शा पारित किया जा सकता है।</p> <p>अभिलेख पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता सह खास महाल पदाधिकारी सदर चाईबासा को भेजे।</p> <p>लेखक अंचल अधिकारी सदर चाईबासा।</p> <p>अंचल अधिकारी सदर चाईबासा।</p>	

आदेश का
क्रम संख्या
एवं तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई की
तारीख

11/01/17


अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के पत्रांक 815, दिनांक 22.12.2016 द्वारा टी0के0एम0 केस संख्या 02(M)/2016-17 मूल अभिलेख अनुशांसा के साथ प्राप्त हुआ। सर्वसधारण सूचना निर्गत किया गया किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि


1. आवेदित भूमि टाउन खास महाल अन्तर्गत मुहल्ला सदर बाजार चाईबासा वार्ड नं0 08 पुराना, 12 नया होल्डिंग नं0 230/1813, नगरपालिका होल्डिंग नं0- 8/147 प्लॉट नं0- 2338 एवं 2339 रकबा 0.03.05 धूर भूमि टी0के0एम0 केस नं0 1625(L)/1994-95 के द्वारा श्री निरंजन प्रसाद साव, पिता स्व0 मथुरा प्रसाद साव, निवासी सदर बाजार, चाईबासा के नाम, दिनांक .01.04.1995 से अगले 30 वर्षों तक के लिए लीज स्वीकृत है तथा भूमि पर आवेदक का शांति पूर्ण दखल कब्जा है।
2. आवेदित भूमि के आस पास हाईटेन्सन तार नहीं है तथा उक्त भूमि तक अग्निशामक की गाड़ी आने-जाने का पर्याप्त सड़क उपलब्ध है।
3. आवेदित भूमि के आगे पिछे नाली अवस्थित है तथा आवेदित भूमि पर भवन निर्माण किये जाने पर किसी तरह की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।



अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के अनुशांसा के आलोक में आवासीय भवन निर्माण हेतु नक्सा पारित ^{करने} कि अनुशांसा की जाती है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 453/रा0 दिनांक 14.02.2015 के परिपेक्ष्य में अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के माध्यम से अभिलेख उपायुक्त प0 सिंहभूम चाईबासा को भेजे।

लेखापित


भूमि सुधार उप-समाहर्ता
- सह -
खास महाल पदाधिकारी
सदर चाईबासा


भूमि सुधार उप-समाहर्ता
- सह -
खास महाल पदाधिकारी
सदर चाईबासा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
	<p>अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता-सह-खासमहाल पदाधिकारी, सदर चाईबासा के पत्रांक-36/रा0 दिनांक 11.01.2017 के द्वारा प्राप्त हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि :-</p> <p>(1) यह अभिलेख चाईबासा टाउन खासमहाल क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला- सदर बाजार, चाईबासा वार्ड नं0-08 पुराना 12 नया, होल्डिंग संख्या 230/1813, नगरपालिका होल्डिंग संख्या-8/147, प्लॉट संख्या 2338 एवं 2339, रकवा 0.03, 0.5 धुर में आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण के लिये नक्शा पारित करने से संबंधित है।</p> <p>(2) उपरोक्त वर्णित भूमि श्री निरंजन प्रसाद साव, पिता- स्व0 मथुरा प्रसाद साव, सदर बाजार चाईबासा के नाम से दिनांक 01.04.1995 से अगले तीस वर्षों तक के लिये आवासीय प्रयोजनार्थ लीज नवीकृत है।</p> <p>(3) लीजधारी द्वारा वर्णित लीज भूमि पर आवासीय भवन निर्माण हेतु तीन प्रतियों में भवन प्लान का नक्शा पारित हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।</p> <p>(4) लीज शर्तों के एकरारनामा के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 07 में यह उल्लेखित है कि - The lessee shall not erect any building or make any addition to or any alternation or demolish or remove any building now or here after to be erected on the demised premises without the previos consent of the deputy Commissioner in writting.</p> <p>(5) Jharkhand building bye laws- 2016 के पृष्ठ संख्या 14 के क्रमांक 2.94 एवं पृष्ठ संख्या 57 के क्रमांक 36(1) के अनुसार 16.40 मीटर या उससे अधिक उचाई के भवन को भवन माना गया है। आवेदित नक्शा में उल्लेखित G+2 आवासीय भवन की उँचाई 28 फीट /8.99 मीटर है।</p> <p>(6) अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार- (क) भवन निर्माण आवासीय प्रयोजनार्थ है। (ख) भवन निर्माण भूमि के उपर कोई हाई-टेन्सन तार नहीं है। (ग) भवन निर्माण भूमि के आगे-पीछे 3X10 का नाली अवस्थित है। (घ) भवन निर्माण होने से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।</p> <p>(7) अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता सह खासमहाल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा उपरोक्त भूमि पर G+2 आवासीय भवन निर्माण के लिये समर्पित नक्शा पारित करने हेतु अनुशंसा की गयी है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर चाईबासा की अनुशंसा के आलोक में चाईबासा टाउन खासमहाल क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला- सदर बाजार, चाईबासा वार्ड नं0-08 पुराना 12 नया, होल्डिंग संख्या 230/1813, नगरपालिका होल्डिंग संख्या-8/147, प्लॉट संख्या 2338 एवं 2339, रकवा 0.03, 0.5 धुर के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति श्री निरंजन साव, पिता- स्व0 मथुरा प्रसाद साव, को इस शर्त पर दी जा सकती है कि नगर पर्षद, चाईबासा के द्वारा विधिवत नक्शा पारित कराकर ही कार्य करेंगे। अभिलेख स्वीकृति प्राप्ति हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष उपस्थापित की जाय। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अपर उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p> अपर उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p>	

भूमि सुधार उपसमाहर्ता-सह-खास महल पदाधिकारी का कार्यालय, सदर चाईबासा

सर्वसाधारण सूचना

टी0के0एम0 लीज भूमि पर भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित 02 (M)/2016-17

श्री निरंजन प्रसाद साव, पिता - स्व0 मथुरा प्रसाद साव मोहल्ला- सदर बाजार चाईबासा, वार्ड न0- 08 पुराना, नया 12, डाकघर- चाईबासा, थाना- सदर चाईबासा, जिला-प0 सिंहभूम चाईबासा ने लीज जमीन नक्सा पारित हेतु आवेदन किया है। जमीन का लीज नवीकरण टी0 के0 एम न0 625(L)/1994-95 द्वारा दिनांक 01.04.1995 से अगले तीस वर्ष के लिये लीज स्वीकृत है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है-

मोहल्ला	होलिडिंग सं0	प्लॉट न0	रकबा
सदर बाजार चाईबासा	230/1813	2338 2339	0.03.05 धुर

यदि इस लीज नक्शा पारित के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे दिनांक 02/12/16 तक उपस्थित होकर संबंधित कागजातों के साथ आपत्ति दायर कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

सूचना मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर के साथ दिनांक 02/12/16 को निर्गत किया गया है।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
- सह -

खास महल पदाधिकारी,
सदर चाईबासा।

02/12/16
02/12/16

1072 (b)
25.10.16

15/10/16

From,

Date 25.10.2016

Niranjan Prasad Sao,
Son of late Mathura Prasad Sao,
Resident of Sadar Bazar,
P.O. and P.S. – Chaibasa,
District Singhbhum West.

To,

The Additional Deputy Commissioner,
Singhbhum West at Chaibasa,

Reg. :- Sanction of building plan in respect of Khas Mahal Holding no. 230/1813,
Municipal Holding no. 8/147, ward no. – 8(old), 12 (new), Chaibasa.


Sir,

I beg to state that I am a lessee in respect of Khas Mahal Holding no. 230/1813, bearing T.K.M. plot nos. 2338 & 2339, area 0-03-05 dhurs (Three Katha and five dhurs), situated at Sadar Bazar, Ward no. 8 (old) 12 (new), P.O. – Chaibasa, District Singhbhum West. The lease of the said holdings have been renewed for a period of thirty years with effect from 1.04.1995, vide T.K.M. case no. 625 (L) of 1994-95. I have also paid Malguzari and municipal Tax up-to date, in respect of said Holdings.

I intend to construct a building over the said land. I am submitting three copies of the proposed map, which may be forwarded to the Chaibasa Municipality with necessary approval, so that the same may be sanctioned by the Chaibasa Municipality.

I, therefore, request to accord necessary approval for the proposed construction.

Thanking you
Yours faithfully


(Niranjan Prasad Sao)

- Enclosed :-
1. Trace map of proposed construction in three copies.
 2. Xerox copy of recent Malguzari Receipt.
 3. Xerox Copy of ~~certified copy of~~ the lease deed of T.K.M. case no. 625 (L) of 1994-95 in respect of Khas Mahal Holding no. 230/1813.
 4. Municipal Tax receipt of holding no. 8/147.

243 Keshu Kumar 2000 Rs. 10/12/1997 234 20 Rs.



टी. के. एम. अभिलेखा संख्या-625/एल/1994-95 में पारित आदेशानुसार चाईबासा टाउन छात्रमहाल के मुहल्ला-सदर बाजार, होल्डिंग संख्या-230/1813, प्लॉट संख्या-2338 एवं 2339 रकबा-तीन कठों पाँच धुर जमीन का लीजधारी श्री निरंजन प्रसाद साव पिता स्व. मधुरा प्रसाद साव निवासी-सदर बाजार, चाईबासा के साथ लीज का स्वरारनामा:-

354/1997

[Signature]
 अमर उपायुक्त,
 प० तिहंभूम, चाईबासा।

30
 3/11/97



100/-
 82.00
 18/-
 98.00
 3
 1/2/97

[Signature]
 लीज धारी का हस्ताक्षर

गवाह

1. Samir Kumar Pramanik
 Chairboss.
2. Amars Bakshi
 Gandhi Tola, Chaibasa.

GENERAL FORM OF LEASE FOR TOWN KHAS MAILALS.

This Indenture made the day of 31.1.1997 between the Governor of Bihar (hereinafter called the lessor which expression shall, where the context so admits or implies, include his successors in office and assigns) of the one part and B श्री निरंजन प्रसाद साव (hereinafter called the lessee which expression shall, where the context so admits or implies, include his heirs, executors, administrators, representatives and assigns) of the other part.

निवासी-सदर बाजार, चाईबासा।

Whereas the lessee has applied for permission to occupy for the purpose of आवासीय the lands and premises specified in the first part of the Schedule hereunder written and has paid a sum of Rs. 48 and whereas the said application has received the sanction of आयुक्त, द. छो. प्र. राँची के पत्र

Here stated to be the object of the Tenancy.


संख्या-3 भू.सू., दिनांक 3.1.97 के द्वारा टी.के.एम.अभिलेख संख्या-625/सल/94-95 में स्वीकृति


Now this indenture witnesseth that the lessor doth hereby demise unto the lessee all the lands and premises as specified in Part I of the Schedule with their appurtenances. To hold the same unto the lessee from the एक अप्रैल day of 1995 for the term of 30 years yielding and paying therefor a clear yearly rent of Rs. 10.12 and the lessee hereby covenants with the lessor that he will perform and observe the terms and conditions set forth in the second part of the said Schedule.

In witness whereof the said parties have hereunto set their hands and seal the day and year first above written.

Signed by—

Signed by -


Collector
Addl. Deputy Commissioner
for and on behalf of the Governor of Bihar
in the presence of


Lessee,
in the presence of




THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO.

PART I—SPECIFICATION OF THE HOLDING-230/1813

(WITH THE TREES THEREON)

Name of block सदर, चाईबासा
Number of plot 2338 एवं 2339
Situation of plot सदर बाजार, चाईबासा
Boundaries of plot उ: ठाकुर प्रसाद साह का मकान द: शकुन्तला देवी जांगिड़ का मकान
प: रास्ता प: रास्ता
Area of plot तीन कठ्ठा पाँच धुर
Amount of rent assessed 10 रु. 12 पैसे
Number of trees of each kind शून्य

After giving a further notice in writing specifying a time not less than one month from the date of service of the notice, such materials shall be removed, and the cost of removal to be collected and recovered the cost from him.



10. If the lessor at any time before the expiration of this lease is desirous of resuming possession of the said demised premises or any part thereof, and shall under the hand of the Deputy Commissioner, serve notice of such desire on the lessee and shall tender him compensation for any building or other improvement which he may have erected or made with the written consent of the Deputy Commissioner or for any deterioration in the value of his holding caused by severance or for such other loss as to the Deputy Commissioner may seem equitable, the lessee shall within three months from the date of receipt of the notice aforesaid vacate the said demised premises or such part thereof as is specified in the said notice.

In case of disagreement as to the amount of the compensation aforesaid the matter shall be referred to the Commissioner whose decision shall be final.

11. The lessee shall pay all municipal and other local rates and taxes that may for the time being be assessed or charged upon the holding or the building erected thereon.

12. On breach or non-observance of any of the terms or conditions aforesaid the Deputy Commissioner may re-enter upon the said demised premises and may determine this lease.

Provided that in case of such re-entry and determination except on breach of the conditions in clauses 7 and 8, the lessee shall be entitled to compensation for standing crops and trees planted by him and for all buildings erected and other improvements made by him with the consent of the Deputy Commissioner, the amount of such compensation to be fixed by the Deputy Commissioner whose decision shall be final and conclusive.

13. In the event of any breach or infringement of any of the conditions aforesaid the lessee shall, in addition and without prejudice to any other remedy of the lessor, be liable to a fine by way of liquidated damages not exceeding half the said yearly rent. Any fine so imposed shall be recoverable under the provisions of the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914.

14. If three months prior to the expiration of the said term the lessee shall notify the Deputy Commissioner that he is desirous of taking a new lease of the said premises and shall have duly observed and performed all the terms and conditions of this lease he shall on the expiry of the term of this lease be entitled to a renewed lease of the said premises for a further term of 30 years and at such rent not exceeding twice the rent payable under this lease as may then be fixed by the Deputy Commissioner but otherwise on the said terms and conditions and subject to the same covenants and agreements, other than this covenant for renewal, as are contained in this lease. In the event of the lessee not taking a new lease as aforesaid or on the expiration of the renewed lease, as the case may be, the lessee shall not be entitled to any compensation for any buildings, structures or improvements erected or made by him upon the said premises, nor shall he be entitled to dismantle or remove any such buildings or structures and the Deputy Commissioner may re-enter on the said premises and take possession of the lands, buildings and structures which shall thereupon vest absolutely in the lessor.

Note.—In exceptional cases in which there is a prospect of abnormal development the renewal clause will either have to be modified to suit local conditions or omitted altogether. All such cases shall be referred for the orders of Government.

वित्त मंत्रालय, नया दिल्ली

Handwritten signature or initials.